



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 126 राँची, सोमवार,

10 मार्च, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2025

संख्या-8/न्या0 विविध (एल०एल०एम०/पी०एच०डी०)-04/2024 का० 990--झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित निम्नांकित न्यायिक पदाधिकारियों को विभागीय संकल्प संख्या-1459 दिनांक 27.02.2024 की कंडिका- IX के तहत विहित शर्तों के अधीन निम्नांकित स्तम्भ में अंकित तिथि के प्रभाव से उच्च योग्यता भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र म सं०	नाम	पद एवं वर्तमान पदस्थापन	उच्च योग्यता		झा.न्या.से. में योगदान की तिथि	उच्च योग्यता भत्ता की देय तिथि	पूर्व में दी गयी स्वीकृति की तिथि (संकल्प सं०- 4328 दिनांक 24.05.2016)
			उपाधि	निर्गत/ कन्वोकेशन तिथि			
1	2		3	4	5	6	7
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सचिव, डी.एल.एस.ए., जमशेदपुर	एल०एल०एम०	24.02.2013/ 03.03.2013	31.07.2015	31.07.2015	01.07.2016
2.	श्री अभिनव त्रिपाठी	सिविल जज (जू०डि०) सह- न्यायिक दण्डा०, गढ़वा	एल०एल०एम०	02.09.2024	28.10.2024	02.09.2024	
3.	श्री कुमार विपुल	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा	एल०एल०एम०	29.01.2014	06.08.2015	06.08.2015	
4.	श्री मनोज कुमार	रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, धनबाद	एल०एल०एम०	15.03.2016	02.02.2018	02.02.2018	
5.	सुश्री विद्यावती कुमारी	अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी-सह- सिविल जज (जू०डि०)- सह- प्रभारी न्यायाधीश- सह-प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, खूँटी	एल०एल०एम०	10.05.2013	02.02.2018	02.02.2018	

6.	सुश्री नूतन एक्का	न्यायिक दण्डाधिकारी- सह- प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, धनबाद	एल०एल०एम०	19th Nov 2011	05.02.2018	05.02.2018	
7.	श्री मनजीत कुमार साहू	रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा (पोराहाट)	एल०एल०एम०	01.12.2018	01.02.2018	01.12.2018	
8.	सुश्री सुमी बिना होरो	अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, सिमडेगा	एल०एल०एम०	01.12.2018	09.10.2020	09.10.2020	
9.	श्री प्रदीप कुमार	सचिव, डी.एल.एस.ए, गोड्डा	एल०एल०एम०	03.02.2010	03.08.2015	03.08.2015	01.07.2016

- उक्त अग्रिम वेतन वृद्धि वेतन का हिस्सा होगी और महंगाई भत्ता तदनुसार अनुमान्य होगी ।
- उपर्युक्त न्यायिक पदाधिकारियों को उच्च योग्यता भत्ता का लाभ इस शर्त के साथ देय होगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व में एल०एल०एम० उपाधि पर दिये गये लाभ की राशि का समायोजन कर लिया जाय ।
- झारखण्ड उच्च न्यायालय के अग्रसारण पत्र के साथ संलग्न न्यायिक पदाधिकारियों के एल०एल०एम०/पी०एच०डी० उपाधि प्रमाण-पत्र की वैधता पर झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट होने के उपरांत ही उक्त भत्ते का भुगतान किया जा सकेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आसिफ हसन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
